कार्यालय थाना सिगरा, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 04.08.2024

विषयः- होटल रंजीत एण्ड रेस्टोरेन्ट मलदहिया सिगरा वाराणसी के विरुध्द अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत थाना सिगरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करने विषयकः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के आदेश के अनुपालन में अपराधों की रोकथाम, वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के नेतृत्व में मुखबिर की गोपनीय सूचना के आधार पर आज दिनांक 04.08.2024 को सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के द्वारा थाना प्रभारी सिगरा मय पुलिस बल एवं थाना प्रभारी चेतगंज मय पुलिस बल के साथ होटल रंजीत एण्ड रेस्टोरेन्ट मलदहिया वाराणसी में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर छापामारी की गयी, जिसमें मौके पर मौजूद महिलाओं एवं पुरुषों को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।